भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4231
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

स्पेक्ट्रम नीलामी 2024 में चुनौतियां

4231. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी 2024 में धीमी प्रतिक्रिया के कारकों की जांच की है, जहां प्रस्तावित स्पेक्ट्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिना बिके रह गया;

(ख) यदि हां, तो विश्लेषण का ब्यौरा क्या है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अधिक भागीदारी आकर्षित करने में पहचान की गई प्राथमिक चुनौतियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उद्योग की चिंताओं को दूर करने और नीलामी परिणामों को बढ़ाने के लिए मूल्य निर्धारण, आरक्षित बोली तंत्र या स्पेक्ट्रम आवंटन नीतियों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं और क्या नीतिगत समायोजन पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) स्पेक्ट्रम आवंटन को इष्टतम बनाने तथा भविष्य में नीलामी को दूरसंचार क्षेत्र के लिए अधिक रुचि तथा राजस्व अर्जित करने वाला बनाएं जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) स्पेक्ट्रम नीलामी 2024 को वर्ष 2022 की अत्यधिक सफल स्पेक्ट्रम नीलामी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया, जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई थी। स्पेक्ट्रम नीलामी 2024 मुख्य रूप से दूरसंचार सेवा

प्रदाताओं को वर्ष 2024 में समाप्त हो रहे स्पेक्ट्रम को पुनःप्राप्त करने का अवसर देकर सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने और मौजूदा मोबाइल सेवाओं को क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। 22 लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में विस्तृत 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में उपलब्ध समस्त स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखा गया।

(ग), (घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के साथ-साथ अन्य निबंधन और शर्तें अनुशंसित की जाती हैं। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, ट्राई विभिन्न अर्थमितीय मॉडलों का उपयोग करता है और विभिन्न एलएसए में विभिन्न बैंडों के आरक्षित मूल्यों की सिफारिश करने के लिए अन्य संगत कारकों पर विचार करता है। तदनुसार, इन अनुशंसित आरक्षित मूल्यों को प्रत्येक स्पेक्ट्रम नीलामी के आयोजन से पहले सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

****